हज्ज और उम्रा की फज़ीलत

[हिन्दी]

فضل الحج والعمرة

[اللغة الهندية]

संकलन

सईद बिन अली बिन वह्फ अल-क़हतानी

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

(من كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة ص ٢٥-٣٣)

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء اللّه

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1429 - 2008

islamhouse.com

بسم الله الرحمن الرحيم

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

हज्ज और उम्रा की फज़ीलत

१. अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"जिस ने इस घर का हज्ज किया और (उसके दौरान) संभोग (और कामुक वार्तालाप) तथा गुनाह और नाफरमानी (पाप एंव अवज्ञा) नहीं किया तो वह उस दिन के समान निर्दोष हो जाता है जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था।"[१]

तथा मुस्लिम की एक रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं :

"जो आदमी इस घर (को) आया और संभोग (और कामुक वार्तालाप) तथा गुनाह और नाफरमानी का काम नहीं किया तो वह इस प्रकार निर्दोष हो जाता है जिस प्रकार उसकी माँ ने उसे जना था।"[२]

इस हदीस का शब्द हज्ज और उम्रा दोनों को सम्मिलित है। [३]

२. तथा अबू हुरैरह् रज़ियल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"एक उम्रा से दूसरा उम्रा, उनके बीच के गुनाहों का कफ्फारा है, और मबरूर हज्ज का बदला जन्नत ही है।" [४]

मब्रूर हज्ज वह है जिस के अन्दर दिखावा और शोहरत बाज़ी तथा गुनाह की मिलावट न हो, तथा उसके बाद नाफरमानी और अवज्ञा न किया जाए, अर्थात् वह हज्ज जिसके पूरे काम अदा किए गए हों और मुकल्लफ से जिन चीज़ों का मुतालबा किया गया है सम्पूर्ण रूप से उसके अनुरूप किया गया हो, और यही मक़्बूल हज्ज है, और कुबूलियत की पहचान में से यह है कि उसकी हालत पहले से बेहतर हो जाए

---

[1] बुखारी फत्हुल बारी के साथ ४/२०, मुस्लिम २/६८४।

[2] मुस्लिम २/६८३, और तिर्मिज़ी की रिवायत में है : "उसके लिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं।" देखिए : सहीह तिर्मिज़ी १/२४५।

[3] देखिए : फत्हुल बारी ३/२८३।

[4] बुखारी फत्हुल बारी के साथ ३/५६७, मुस्लिम २/६८३।

और वह पुनः गुनाहों और नाफरमानियों की ओर न पलटे। मबरूर का शब्द 'बिर्र' से निकला है जिसका अर्थ नेकी और आज्ञापालन होता है। वल्लाहो आलम (अल्लाह तआला सबसे अधिक ज्ञान रखने वाल है)।[1]

३. पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमायाः

"क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम अपने से पहले की चीज़ों (अर्थात् गुनाहों) को मिटा देता है, और हिजरत अपने से पहले की चीज़ों (गुनाहों) को ढा देती है, और हज्ज अपने से पहले के गुनाहों को नष्ट कर देता है।" [२]

४. नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रश्न किया गया कि कौन सा अमल सब से श्रेष्ठ है? तो आप ने फरमाया : **"अल्लाह और उसके पैग़म्बर पर ईमान लाना।"** कहा गया : फिर कौन सा? आप ने फरमाया : **"अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना।"** पूछा गया : फिर कौन सा? आप ने उत्तर दिया : **"मबूरूर हज्ज।"** [३]

५. अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"एक के बाद दूसरा हज्ज और उम्रा करो; क्योंकि ये दोनों निर्धनता और पाप को ऐसे ही मिटा देते हैं जिस प्रकार लोहार की धौंकनी लोहा, सोना और चाँदी के ज़ंग को मिटा देती है, और मबूरूर हज्ज का सवाब (बदला) तो केवल जन्नत है।" [४]

६. आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्हों ने कहा : मैं ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल ! क्या औरतों पर जिहाद अनिवार्य है? आप ने फरमाया :

"हाँ, उन पर ऐसा जिहाद अनिवार्य है जिस में लड़ाई-भिड़ाई नहीं है : वह हज्ज और उम्रा है।" [५]

और नसाई में है :

"लेकिन सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन जिहाद अल्लाह के घर का मबूरूर हज्ज है।"[६]

७. अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्हों ने कहा : अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

---

[1] देखिए : फत्हुल बारी ३/३८२, शर्हुन्नववी अला मुस्लिम ६/११६।

[2] मुस्लिम १/११२

[3] बुखारी फत्हुल बारी के साथ ३/३८१।

[4] नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजह, अहमद इत्यादि, अल्बानी ने सहीह नसाई २/५५८ में इसे सहीह कहा है।

[5] अहमद, इब्ने माजह, इब्ने खुज़ैमह इत्यादि, और इस हदीस की असल बुखारी (फत्हुलबारी ३/३८१) में है, और देखिए :सहीह इब्ने माजह २/१५१, इरवाउल गलील ४/१५१, अल्बानी ने इसे सहीह कहा है।

[6] सहीह नसाई २/५५७।

"अल्लाह के वफ्द (अल्लाह के पास आने वाले) तीन हैं : गाज़ी (अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला), हाजी और मोअ्तमिर (उम्रा करने वाला)।" [1]

८. इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"अल्लाह के मार्ग में जिहाद करने वाला, हाजी और मोअ्तमिर अल्लाह के वफ्द हैं। अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उन्हों ने लब्बैक कहा, इन्हों ने अल्लाह से माँगा तो उसने इन्हें प्रदान कर दिया।" [२]

९. अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत करते हैं कि आप ने फरमाया :

"बूढ़े, बच्चे, कमज़ोर और महिला का जिहाद : हज्ज और उम्रा है।" [३]

१०. आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"अरफा के दिन से बढ़ कर कोई और दिन नहीं है जिस में अल्लाह तआला अपने बन्दों को सब से अधिक जहन्नम से आज़ाद करता है, (उस दिन) वह क़रीब होता है फिर फरिश्तों के सामने उन पर गर्व करते हुए कहता है : ये लोग क्या चाहते हैं?" [४]

११. अम्र बिन शुऐब से रिवायत है, वह अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

"सर्वश्रेष्ठ दुआ अरफा के दिन की दुआ है ..."[५]

१२. तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमायाः

"...रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज्ज करने के समान है।"[६]

१३. अब्दुल्लाह बिन उबैद ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहा कि क्या बात है कि मै आप को केवल इन्हीं दोनों कोनों : हज्रे-अस्वद और रूक्ने यमानी को छूते हुए देखता हूँ ? तो इब्ने उमर ने उत्तर दिया : यदि मैं ऐसा करता हूँ (तो इसका

---

[1] नसाई, हाकिम, इब्ने हिब्बान इत्यादि, अल्बानी ने सहीह नसाई २/५५७ और सहीहुल जामिअ् ६/१०८ में इसे सहीह कहा है।

[2] इब्ने माजह और इब्ने हिब्बान इत्यादि, अल्बानी ने सहीह इब्ने माजह २/१४६ और सिलसिला सहीहा ४/४३३ में इसे सहीह कहा है।

[3] नसाई ,अल्बानी ने सहीह नसाई में इसे हसन कहा है २/५५७।

[4] मुस्लिम २/९८३।

[5] तिर्मिज़ी, मुवत्ता मालिक, अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी ३/१८४, सहीहुल जामिअ् ३/१२१ और अहादीस सहीहा ४/६ में इसे हसन कहा है।

[6] बुखारी फत्हुल बारी के साथ ४/७२, ३/६०३, मुस्लिम २/९१८, तथा अहलुस्सुनन।

कारण यह है कि) मैं ने अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना है कि :

“इन दोनों कोनों को छूना गुनाह को झाड़ देता है।”

तथा मैं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को फरमाते हुए सुना कि :

“जिस ने इस घर का सात चक्कर तवाफ किया और दो रक्अत नमाज़ पढ़ी, तो यह एक गुलाम आज़ाद करने के समान है।”

और मैं ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह भी फरमाते हुए सुना कि :

“आदमी एक क़दम भी उठाता और रखता है तो उसके लिए दस नेकियाँ लिखी जाती हैं, उसके दस गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसके दस दरजे (पद) ऊँचे कर दिए जाते हैं।”[1]

१४. तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है कि मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना उसके अतिरिक्त अन्य मस्जिदों में एक लाख नमाज़ से अफज़ल है।[2]

१५. जिस आदमी ने अल्लाह के प्राचीन घर का तवाफ किया और हज्रे-अस्वद को छुआ तो ये उसके लिए क़ियामत के दिन गवाही देगा; क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस है कि उन्हो ने कहा कि : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्रे-अस्वद के बारे में फरमाया :

“अल्लाह की क़सम ! अल्लाह तआला इसे क़ियामत के दिन ज़िन्दा उठाए गा, इसकी दो आँखें होंगी जिन से यह देखे गा, इसकी ज़ुबान होगी जिस से यह बोले गा, जिस ने इसे छुआ होगा उसके ऊपर हक़ की गवाही दे गा।”[3]

तथा इब्ने अब्बा ही से रिवायत है कि उन्हों ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया :

“ हज्रे-अस्वद जन्नत से इस हाल में उतरा कि वह बरफ से भी अधिक सफेद था, आदम के बेटों (अर्थात मनुष्य) की खताओं (त्रुटियों और गुनाहों) ने उसे काला कर दिया।” [4]

---

[1] अहमद २/३ और अबू दाऊद के अतिरिक्त असहाबुस्सुनन, तथा हाकिम ने रिवायत करके इसे सहीह कहा है और ज़हबी ने इसकी पुष्टि की है १/४८६, और अल्बानी ने मिश्कातुल मसाबीह २/७८३ में इसे सहीह कहा है, और बग़वी ने शर्हुस्सुन्नह ७/१२६ में इसे हसन कहा है, और मैं ने हदीस के शब्द इस स्रोतों से चयन किए हैं : देखिए : सहीह नसाई २/६१३, सहीह तिर्मिज़ी १/२८३, सहीह इब्ने माजह २/१६२, मुसन्नफ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ५/२६, इब्ने खुज़ैमह ४/२१८, हदीस न० (२७२६)।

[2] मुस्नद अहमद ३/३४३, ३९७, अल्बानी ने इरवाउल गलील ४/३४१ में इसे सहीह कहा है।

[3] तिर्मिज़ी, इब्ने खुज़ैमह ४/२०, अहमद १/२६६, तथा अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी १/२८४ में इसे सहीह कहा है।

[4] इब्ने खुज़ैमह ४/२२० के शब्द है, और तिर्मिज़ी के शब्द इस प्रकार हैं : “...वह दूध से भी अधिक सफेद था. ...” और अल्बानी ने सहीह तिर्मिज़ी १/६३१ में इसे सहीह कहा है।

यह समस्त फज़ीलतें केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त हों गीं जिस ने अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस किया, और अपने हज्ज या उम्रा को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के दर्शाए हुए तरीक़े के अनुसार अदा किया। अतः प्रत्येक क़ौल और अमल के स्वीकार किए जाने के लिए इन दोनों शर्तों का पाया जाना आवश्यक है :

प्रथम शर्त : **मअ्बूद (पूज्य अर्थात् अल्लाह) के लिए इख़्लास;** क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

"आमाल -कामों- का आधार नीयतों पर है और प्रत्येक मनुष्य के लिए वही कुछ है जिसकी उसने नीयत की है।" [1]

द्वितीय शर्त : **पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण;** क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फर्मान है :

"जिस ने कोई ऐसा काम किया जो हमारी शरीअत के अनुकूल नहीं है, वह अस्वीकृत है।"[2]

अतः जिस आदमी ने अपने आमाल को अल्लाह के लिए खालिस कर लिया और उस में अल्लाह के पैग़म्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण किया तो ऐसे ही आदमी का कार्य स्वीकृत (मक़्बूल) है। और जिस ने इन दोनों शर्तों या इन में से किसी एक शर्त को भी त्याग कर दिया तो उसका अमल अस्वीकृत है और अल्लाह तआला के इस कथन में दाखिल है :

﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٣)

"और उन्हों ने जो कार्य किए थे हम ने उनकी ओर बढ़ कर उन्हें उड़ते हुए ज़र्रों (कणों) की तरह कर दिया।" (सूरतुल फ़ुर्क़ान :२३)

और जिस ने दोनों बातों (शर्तों) को पूरा किया वह अल्लाह के इस फर्मान में दाखिल है :

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ (سورة النساء: ١٢٥)

"और उस से सर्वश्रेष्ठ दीन किसका है? जो अपने आप को अल्लाह के अधीन कर दे और वह नेकी करने वाला भी हो।" (सूरतुन्निसा :१२५)

﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورة البقرة: ١١٢)

---

[1] बुखारी फत्हुल बारी के साथ १/६, मुस्लिम ३/१५१५।

[2] मुस्लिम ३/३४४, तथा बुखारी व मुस्लिम में है कि : "जिसने हमारी इस शरीअत में कोई ऐसा काम निकाला (ईजाद किया) जिस का संबन्ध इस से नहीं है तो वह अस्वीकृत है।"

“सुनो! जो भी अपने आप को इख्लास के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, निःसन्देह उसका पालनहार उसे पूरा-पूरा बदला देगा, उस पर न तो कोई भय होगा, न गम और उदासी।” (सूरतुल बक़रह :११२)

उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस ((आमाल का आधार नीयतों पर है।)) बातिनी (प्रोक्ष) आमाल की कसौटी है, और आईशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस ((जिस ने कोई ऐसा काम किया जो हमारी शरीअत के अनुकूल नहीं है, वह अस्वीकृत है।)) ज़ाहिरी (प्रत्यक्ष) आमाल की कसौटी है। चुनाँचे वे दोनों दो महान हदीसें हैं जिन में सम्पूर्ण दीन, उसके उसूल और फुरूअ्, उसके ज़ाहिर और बातिन सब आ जाते हैं।[1]

अनुवादक
(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*
atazia75@gmail.com

(देखिए : अल-हज्ज वल-उम्रा वज़्ज़ियारह फी ज़ौइल किताब वस्सुन्नह, लेखक : सईद बिन अली बिन वह्फ अल-क़ह्तानी पृ० २५-३३)

(مأخوذمن كتاب الحج والعمرة والزيارة في ضوء الكتاب والسنة لمؤلفه: سعيدبن علي بن وهف القحطاني ص: ٢٥-٣٣)

[1] देखिए : बहजतो क़ुलूबिल अब्रार व क़ुर्रतो उयूनिल अख्यार, लेख : अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सअ्दी पृष्ठ :१०।